

कार्यालय मुख्य अभियंता (पश्चिमी) ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्र संख्या- 350/ग्रा0अ0वि0/टेके0पंजी0-97/वरि0सहा0-2/18-19, दिनांक 31/12/2018

पंजीकरण संख्या- 350/ श्रेणी-'बी'-मार्ग/2018

: -पंजीकरण प्रमाण-पत्र :-

अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल मेरठ के पत्र संख्या-1597 दिनांक-27-12-2018 से प्राप्त मेसर्स सतीश कुमार पुत्र श्री राजपाल के "B" श्रेणी में पंजीकरण सम्बन्धी प्रपत्रों के सत्यापन/संस्तुति के आधार पर मेसर्स सतीश कुमार कान्ट्रैक्टर (सोल प्रोपराइटर-सतीश कुमार पुत्र श्री राजपाल सिंह) निवसी-ग्राम व पोस्ट-सराय घासी थाना व तहसील सिकन्द्राबाद जिला-बुलन्दशहर को ग्रामीण अभियंत्रण विभाग मे मार्ग निर्माण कार्य के लिये श्रेणी 'B' में टेकेदारी हेतु दिनांक-30-06-2021 तक की अवधि के लिये एतद्वारा पंजीकृत किया जाता है।

यह प्रमाण-पत्र ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, पश्चिमी क्षेत्र के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश के राजस्व मण्डल बरेली, मुरादाबाद, मेरठ, सहारनपुर, आगरा, अलीगढ़, चित्रकूट-धाम बौदा एवं झांसी के जनपदों में मान्य होगा तथा इसकी वैधता दिनांक-30-06-2021 के बाद स्वतः समाप्त समझी जायेगी।

नवीनीकरण हेतु प्रार्थना पत्र अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-बुलन्दशहर के कार्यालय में वैधता तिथि समाप्त होने के दो माह पूर्व प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(रवीन्द्र सिंह गंगवार)  
मुख्य अभियन्ता(पश्चिमी)

पत्रांक एवं दिनांक-उपरोक्तानुसार।

प्रातिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1-अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-बुलन्दशहर।
- 2-अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल-मेरठ।
- 3-समस्त अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग(पश्चिमी क्षेत्र), उत्तर प्रदेश को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि संबंधित आदेश की प्रति अपने स्तर से अधीनस्थ प्रखण्ड/पी0आई0यू0 को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- 4-मुख्य अभियंता(पूर्वी क्षेत्र)ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0लखनऊ।
- 5-निदेशक एवं मुख्य अभियंता(नियोजन)ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0लखनऊ।
- 6-मेसर्स सतीश कुमार कान्ट्रैक्टर (सोल प्रोपराइटर-सतीश कुमार पुत्र श्री राजपाल सिंह) निवसी-ग्राम व पोस्ट-सराय घासी थाना व तहसील सिकन्द्राबाद जिला-बुलन्दशहर (मो0न0-9837728908 ई-मेल-satishkumar03038@gmail.com)को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि यदि प्रस्तुत अभिलेखों में आप द्वारा किसी प्रकार का संशोधन/परिवर्तन किया जाता है तो उसकी सूचना ससंगत अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियों सहित तत्काल इस कार्यालय को दी जाए तथा अभिलेखों में इंगित पते/ई-मेल पर भेजा गया पत्र आपको प्राप्त हुआ माना जाएगा।



मुख्य अभियन्ता (पश्चिमी)  
ग्रामीण अभियंत्रण विभाग  
लखनऊ

31/12/18  
मुख्य अभियन्ता(प0क्ष0)